मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 29.07.2026

थाना चिल्ह पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा पिकअप वाहन से 2704 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रूपये) के साथ 02 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार-

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना चिल्ह पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 29.07.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना चिल्ह क्षेत्रांतर्गत ग्राम पुराना बाड़ा में से एक पिकअप अंकित वाहन संख्याः UP 65 RT 2856 सवार 02 अभियुक्तों 1. अमित कुमार सिन्हा पुत्र स्व0 अशोक लाल सिन्हा निवासी ग्राम प्रसादी इंग्लिस थाना अरवल जनपद अरवल (बिहार) व 2. जैकी कुमार पुत्र स्व0 रामजी पासवान निवासी ग्राम अरवल सिपाह थाना अरवल टाऊन जनपद अरवल बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामद वाहन की तलाशी ली गयी तो उपरोक्त वाहन से 1870 बोतल आफ्टर डार्क ब्लू (प्रत्येक बोतल 180ml), 775 बोतल मैजिक मुवमेण्ट जामुन स्पाइसी मिण्ट (प्रत्येक बोतल 180ml), 08 बोतल रायल स्टैग (प्रत्येक बोतल 750ml), 51 बोतल मैजिक मुवमेण्ट आरेंज व ग्रीन एप्पल (प्रत्येक बोतल 750ml) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिल्ह पर मु0अ0स0- 177/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त उपरोक्त वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा जनपद सीधी के मऊगंज से अवैध अंग्रेजी शराब बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर देते है। अवैध शराब को उक्त वाहन में छिपाकर ले जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1. अमित कुमार सिन्हा पुत्र स्व0 अशोक लाल सिन्हा निवासी ग्राम प्रसादी इंग्लिस थाना अरवल जनपद अरवल (बिहार) उम्र करीब 36 वर्ष।
2. जैकी कुमार पुत्र स्व0 रामजी पासवान निवासी ग्राम अरवल सिपाह थाना अरवल टाऊन जनपद अरवल बिहार उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

1870 बोतल आफ्टर डार्क ब्लू (प्रत्येक बोतल 180ml), 775 बोतल मैजिक मुवमेण्ट जामुन स्पाइसी मिण्ट (प्रत्येक बोतल 180ml), 08 बोतल रायल स्टैग (प्रत्येक बोतल 750ml), 51 बोतल मैजिक मुवमेण्ट आरेंज व ग्रीन एप्पल (प्रत्येक बोतल 750ml) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद (कुल 2704 बोतल-अवैध अंग्रेजी शराब- 520 लीटर)

पिकअप अंकित वाहन संख्याः UP 65 RT 2856।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0- 177/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह, उप निरीक्षक बद्री प्रसाद, उप निरीक्षक कुर्बान अली, का0 विकास यादव, हे0कां0 धर्मेन्द्र सिंह, कां0 पद्माकर सिंह थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

आबकारी निरीक्षक राजेश क्षेत्र-1 व आबकारी निरीक्षक विरजू प्रसाद गुप्ता क्षेत्र-2 चुनार मय टीम।